संख्या-12//2018/186/26-3-2018-10(7)/2012

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 19 जनवरी 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-357/ज0जा0वि0/2017-18 दिनांक-11 जनवरी 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपया-130.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रूपया-65.00 लाख (रूपये पैसठ लाख मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि को योजना के सम्बन्ध में निर्गत नवीनतम शासनादेश संख्या-46/2016/889/26-3-2016, दिनांक-16.03.2016 में वर्णित प्राविधानानुसार लाभार्थियों का चयन कर व्यय की जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग करने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि की मांग की जायेगी।

(3)-धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं इस संबंध में निर्गत किये गये शासनादेशों अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। किसी प्रकार विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी.एल.ए./डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(5)-अवमुक्त की जा रही धनराशि का शत-प्रतिशत उपभोग करने के उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार उ0प्र0 एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-18-अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017,दिनांक-03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ0संख्या-12/2018/186(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, जनजाति विकास उ0प्र0।
3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1/2
5-राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
6-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
7-निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in